

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक व राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आवेदनित केंद्र पर प्रगति (एसीपी-I/II/III) वेतनमान (9300-34800/15600-39100) में निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है :-

क्र० स०	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यारंभ तिथि	10/20/30 / वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय /तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे/ पे-लेवल
1	मुकेश चन्द्र पण्ड्या, राउमावि, केशरपुरा जिला झुंजरपुर	प्र०अ०	28-02-1964	27-09-1989	30 YEAR 26-09-2019	27-09-2019	L-15
2	कविता पारीक, रामावि, सनवाड़ (राजसमन्द)	प्र०अ०	23-03-1966	07-10-1989	30 YEAR 06-10-2019	07-10-2019	L-15
3	कैलाश चन्द्र दशोरा, राउमावि, बरखेडा जिला चित्तौडगढ	प्रधानाचार्य	27-12-1964	25-09-1989	30 YEAR 24-09-2019	25-09-2019	L-15
4	कन्हैया लाल शर्मा, राउमावि, गोरजी का निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ	प्रधानाचार्य	25-09-1963	27-09-1989	30 YEAR 26-09-2019	27-09-2019	L-17
5	पुष्पा अरोड़ा, रामावि, सामरिया कला जिला चित्तौडगढ	प्र०अ०	25-07-1962	05-12-1989	30 YEAR 04-12-2019	05-12-2019	L-15
6	संजीता रानी कोठारी, राउमावि, सायरा पं०स० गोगुन्दा जिला उदयपुर	प्रधानाचार्य	27-03-1961	01-12-1989	30 YEAR 30-11-2019	01-12-2019	L-17
7	चन्द्र मोहन रैगर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, स०माधोपुर	प्रधानाचार्य	15-08-1960	15-02-1991	20 YEAR 14-02-2011	15-02-2011	6600/-
8	कैलाश चन्द्र मीना, राउमावि, रौडकला जिला करौली	प्रधानाचार्य	02-07-1965	04-10-1993	20 YEAR 03-10-2013	04-10-2013	6800/-

क्र.सं.	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि	10/20/30/ वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय/तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे/पे-लेवल
9	रेणु योगेन्द्र, राउमावि, नारडा जिला बारां	प्रधानाचार्य	08-05-1960	30-12-1989	30 YEAR	29-12-2019	30-12-2019 L-17
10	वृन्दा दाधीच, राउमावि, खैराली जिला बारां	प्रधानाचार्य	02-06-1966	02-10-1989	30 YEAR	01-10-2019	02-10-2019 L-17

1. एसीपी स्वीकृत किए जाने पर एक वेतनवृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा स्वीकृत एसीपी ग्रेड/पे-लेवल में वेतन निर्धारण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि पदोन्नति पर 26-ए का लाभ नहीं दिया गया है तो उक्त लाभ देय होगा।
2. जिन कार्मिकों ने पदोन्नति का परित्याग किया है उन्हें उतनी अवधि विराम से एसीपी स्वीकृत किया गया है।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 21-5-2020

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/ए-5-6-8/एसीपी/उद./कोटा/भरत/2020/15

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- 1- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
- 2- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
- 3- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा
- 4- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 5- संबंधित अधिकारी/संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी

6- सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर